न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 36/2016/223 आर टी ए
अपील संख्या — 41/2016/223 आर टी ए

1. श्योकरण पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. निकूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. ख्यालीराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. बुधराम पुत्र कुम्भाराम (मृतक)

4/1 प्रभुदयाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/2 रामनारायण पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

5. दुलाराम पुत्र कुम्भाराम (मृतक)

5/1 सन्तराम पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (मृतक)।

——अपीलांटस

बनाम

1. हरीराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. धर्माराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कानाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. मदनलाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. सुशील जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. गोमती पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. घनी पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. विमला पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. गुड्डी पत्नि दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. किस्तुरी पुत्री दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. सैना पुत्री दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. सजग पुत्री दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. सोमती पुत्री दुलाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

——रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर प्रकरण सं. 59/2012 अनवानी हरीराम बनाम श्योकरण आदि

उपस्थित :—
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0 स. 1 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 14

निर्णय दिनांकः—24.08.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया कि वादी व प्रतिवादीसं. 7 ता 11 एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से चक 5 केएचडी मे 13.156 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड एवं चक 3 केएचडी मे 7.895 है0 कमाण्ड दोनो चको मे कुल 21.051 है0 कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 7 ता 11 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा व इसी अनुसार कब्जा काश्त है। इसलिए उक्त भूमि का हिस्सा अनुसार अच्छी मंदी किस्म के अनुसार विभाजन किया जावें। अपीलांट सं. 1 ता 3 एवं अपीलांट सं. 4/1 व 4/2 एवं 5/1 के पूर्वज स्व0 बुधराम व दुलाराम ने विचारण न्यायालय मे वादपत्र को अस्वीकार करके अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया था कि चक 5 केएचडी व चक 3 केएचडी की कुल 21.051 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो कुम्भाराम व हजारी पुत्र शामा के जीवनकाल मे आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है। घरू विभाजन के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलांट ने अपने काउंटर क्लेम मे वादी व प्रतिवादी द्वारा अपनी सहमति से किये गये विभाजन व कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद मे दिनांक 29.12.14 को प्राथमिक डिक्री पारित की व उसके पश्चात तहसीलदार राजस्व रावतसर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा वाद मे अन्तिम डिक्री पारित कर दी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक

Web Copy - Not Official

डिक्री दिनांक 29.12.14 के विरूद्ध अपील संख्या 41/2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध अपील सं. 36/2016 प्रस्तुत की गई।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक व डिक्री गलत, विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने जवाब व काउंटर क्लेम मे स्पष्ट कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य घरू विभाजन हो चुका है एवं अपीलांट ने उक्त घरू विभाजन को दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया है। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को अनदेखा करके खाता विभाजन का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्राथमिक डिक्री करने से पूर्व ही अपीलांट सं. 4 बुधराम व अपीलांट सं. 5 दुलाराम का देहान्त हो चुका था परन्तु रेस्पो0 वादी ने उक्त मृत प्रविष्टियों के वारिसान को वाद मे पक्षकार बनाये बिना ही वाद मे मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 29.12.14 के द्वारा तहसीलदार राजस्व रावतसर को राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के विभाजन प्रस्ताव भेजने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया था परन्तु तहसीलदार रावतसर न तो मौका पर गये व न ही अपीलांट को कोई सूचना दी केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव को ही विचारण न्यायालय के समक्ष भेज दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव पर बिना कोई सुनवाई किये व बिना आपत्ति लिये विधि विरूद्ध रूप से तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही वाद मे अन्तिम डिक्री पारित कर दी जबकि विचारण न्यायालय को उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारो की आपत्ति सुनी जानी आवश्यक है। पटवारी ने बिना मौका पर जाये रेस्पो0 सं. 1 के कहे अनुसार अच्छी किस्म की भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को दे दी है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा काश्त का कोई ध्यान नही रखा गया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिले खारिज है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017(2) पेज 1047, आरआरटी 2014 (1) पेज 258, आरआरटी 2016 (1) पेज 87, आरआरडी 2013 पेज 177, डीएनजे 2016(2) पेज

927 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता तकसीम बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे वाद मे प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे प्राथमिक डिक्री पारित कर मौका कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त एवं अच्छी मंदी के अनुसार भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री किया गया है। जहां तक अपीलांटस का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घरू विभाजन हुआ है कतई गलत एवं असत्य है। अपीलांटस द्वारा घरू विभाजन के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे घरू विभाजन साबित हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री पारित करते समय ना तो अपीलांट की तामील करवाई और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 41/2016 जो कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.12.14 के विरूद्ध पेश की गई, के संबंध मे दौराने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.12.14 के संबंध मे

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कोई आपत्ति जाहिर नही की गई तथा प्राथमिक डिक्री को सही होना जाहिर किया गया परन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए अन्तिम डिक्री हेतु आपत्ति प्रकट की गई। ऐसी स्थिति मे अपील संख्या 41/2016 जो प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, खारिज की जाकर अपील संख्या 36/2016 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.04.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील संख्या 41/2016 खारिज की जाकर प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 29.12.2014 यथावत रखा जाता है तथा अपील संख्या 36/2016 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official